



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022026-270444
CG-DL-E-25022026-270444

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 939]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 24, 2026/फाल्गुन 5, 1947

No. 939]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 24, 2026/PHALGUNA 5, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2026

का.आ. 983(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, NH-66 के कि.मी 0.00 से कि.मी.11.758 तक महाराष्ट्र राज्य के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH66 पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	उपविभागीय अधिकारी,	राष्ट्रीय राजमार्ग	महाराष्ट्र	लातूर	उदगीर	1 पिंपरी

उदगीर	संख्या NH66 के कि.मी 0 से कि.मी 11.758 तक				2	अवलकोंडा
					3	नागलगाव
					4	बोरताळा तांडा
					5	उदगीर
					6	सोमनाथपूर
					7	लोणी
					8	मलकापूर
					9	मारोती तांडा
					10	सोमाला तांडा
					11	काशीराम तांडा

[फा. सं. RW/NH-12014/14/2024-MAH/Zone-IV]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th February, 2026

S.O. 983(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 0.000 to km. 11.758 of NH-66 in the State of MAHARASHTRA.

SCHEDULE**Land acquisition on National Highway No. NH66 in the State of MAHARASHTRA**

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7	
1	Sub Divisional officer, Udgir	NH66 KM 0 TO KM 11.758	MAHARASHTRA	Latur	Udgir	1	Pimpri
						2	Avalkonda
						3	Nagalgaon
						4	Bortal Tanda
						5	Udgir
						6	Somnathpur
						7	Loni
						8	Malkapur

						9	Maroti Tanda
						10	Somala Tanda
						11	Kashiram Tanda

[F. No. RW/NH-12014/14/2024-MAH/Zone-IV]

SHAIKH AMINKHAN, Director